



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 10, 2019/पौष 20, 1940

No. 156]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 10, 2019/PAUSHA 20, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2019

का.आ. 170(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1830 (अ), तारीख 14.08.2012, द्वारा मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के 69.200 कि.मी. से 173.200 कि.मी. (जोवाई से मेघालय और असम सीमा सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि.838 (अ), तारीख 5.12.2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि.950 (अ), तारीख 03.12.2010, सा.का.नि.15 (अ), तारीख 12.01.2011, और सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12.10.2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16.12.2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16.01.2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21.11.2014, सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23.03.2015, सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 08 जून, 2016 और सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 02 दिसम्बर 2016 सा.का.नि. 248 (अ) तारीख 14 मार्च, 2017, सा.का.नि. 427(अ) तारीख 07 मई, 2018 और सा.का.नि. 920 (अ) तारीख 25 सितम्बर, 2018 द्वारा संशोधन किए हैं;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में मैसर्स जयंतिया हाईवे प्राइवेट लिमिटेड (रियायतग्राही) के साथ 05.06.2012 को करार किया है और केन्द्र सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 2921 (अ) दिनांक 26.09.2013 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, यथा संशोधित, की धारा 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48)

की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेघालय राज्य में जोवई से मेघालय और आसाम सीमा सेक्शन पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के 69.200 कि.मी. से 173.200 कि.मी. तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खण्ड कहा गया है) का दो लेन में बनाकर विकास और उक्त खण्ड के डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर प्रचालन और अनुरक्षण के लिए रियायतग्राही को प्राधिकृत किया है।

और यतः, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषण नहीं की गई थी और प्राधिकरण द्वारा 18.11.2014 को डीबीएफओटी रियायत करार समाप्त कर दिया गया है और इसलिए, अधिसूचना सं. का.आ. 2921 (अ) दिनांक 26.09.2013 कार्यान्वित नहीं की गई थी।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. का.आ. 2921 (अ) दिनांक 26.09.2013 का अधिक्रमण करते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि मेघालय राज्य में जोवई से मेघालय और असम सीमा सेक्शन पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (नया रा-6) के 69.200 कि.मी. से 171.455 कि.मी. तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खण्ड कहा गया है) के पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के उपयोग के लिए सड़क की निवल लम्बाई 101.86 कि.मी. और 3.95 कि.मी. (जिनकी लम्बाई 0.395 कि.मी. है) की सरचनाओं की कुल समकक्ष लम्बाई (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यांत्रिक वाहनों पर स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) के 60% की दर पर शुल्क उद्धृत किया जाएगा और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से इस अधिसूचना के वास्तविक कार्यान्वयन की तारीख को और उस तारीख से अथवा राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारिणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए चार अथवा अधिक लेनों के रारा खण्डों के लिए प्रति कि.मी.* शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.वी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई.) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोधय और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	प्रभावित खंड (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले में पसीह गांव के निकट 74.200 कि.मी. पर।	69.200 कि.मी. से 108.200 कि.मी. तक	39.000	ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
पूर्वी जयंतिया हिल्स हिले	108.200 कि.मी. से	62.860	ऊपर सारिणी-1 में

में लोमशिनॉग गांव के निकट 127.400 कि.मी. पर।	171.455 कि.मी.	[(0.395 कि.मी लम्बाई की 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)]	उल्लिखित आधार दरों का 60%
--	----------------	--	---------------------------

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर (प्लाजाओं), निम्नलिखित शुल्क भी शोधय और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं* की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है।
पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले में पसीह गांव के निकट 74.200 कि.मी. पर।	शून्य	शून्य	ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
पूर्वी जयंतिया हिल्स हिले में लोमशिनॉग गांव के निकट 127.400 कि.मी. पर	0.395*	3.95	ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
कुल	0.395	3.95	

*संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली) का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	अवस्थान		कुल लम्बाई (कि.मी. में)	संरचना का प्रकार
	से (कि.मी. पर)	तक (कि.मी. पर)		
(i)	141.090	141.17	0.080	बड़ा पुल
(ii)	141.490	141.621	0.131	बड़ा पुल
(iii)	152.885	152.945	0.061	बड़ा पुल
(iv)	141.900	142.023	0.123	बड़ा पुल
संरचना की कुल लम्बाई			0.395	

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2018-19 के लिए मासिक पास की दर 255.00/- रूपए (दो सौ पचपन रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 10 (1क) के अनुसार भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।
7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।
9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 795.51 करोड़ है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष है। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/547/सीओ/17-18/जीसी-जोवाई-मेघालय]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2019

S.O. 170(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 1830 (E) dated 14th August 2012 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km.69.200 to km.173.200 (Jowai to Meghalaya and Assam border section) of National Highway No. 44 in the State of Meghalaya to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated 05.12.2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 03.12.2010, G.S.R 15(E) dated 12.01.2011, G.S.R 756(E) dated 12.10.2011, GSR 778(E) dated 16.12.2013, G.S.R 26(E) dated 16.01.2014, G.S.R 831(E) dated 21.11.2014, G.S.R 220(E) dated 23.03.2015 and G.S.R 585(E) dated 08th June, 2016, G.S.R 1114 (E) dated

2nd December, 2016 G.S.R. 248(E) dated 14th March, 2017, G.S.R. 427(E) dated 07th May, 2018 and G.S.R. 920(E) dated 25th September, 2018 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority entered into an agreement with M/s Jaintia Highway Pvt. Ltd (the Concessionaire) on 05.06.2012 and in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 as amended, the Central Government, vide notification no. S.O. 2921(E) dated 26.09.2013, authorized the Concessionaire for development of kilometre 69.200 to kilometre 173.200 on the Jowai – Meghalaya / Assam Border section of National Highway No. 44 in the State of Meghalaya (hereinafter referred to as the “said section”) to two laning and Operation and Maintenance of the said section on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

And whereas, the Commercial Operation Date was not declared and the DBFOT Concession Agreement has been terminated on 18.11.2014 by the Authority and therefore, the notification no. S.O. 2921(E) dated 26.09.2013 was not implemented;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the said “Rules”), and in supersession of the notification bearing S.O. No.2921 dated 26th September, 2013, the Central Government hereby levies the fee for the use of Two lane with paved shoulders Jowai – Meghalaya Assam Border section from design km.69.200 to km.171.455 on NH-44 (new NH-6) in the state of Meghalaya (hereinafter referred to as the “said section”), on the Type of Vehicles specified in column (1) at 60% of the rates specified in columns (2) (hereinafter referred to as “base rate”) of Table 1 below for net road length of 101.860 km and for total equivalent length of structure (having more than 60 m length) of 3.95 Km. (having length of 0.395 km) and authorize the said Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee on and from the date of actual implementation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later;

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza:

Location of Fee Plaza (Design chainage)	Influence Section (Design Chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 74.200 near village Pasyih in West Jaintia Hills District	Km 69.200 to km 108.200	39.000	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 127.400 near village Lomshinong in East Jaintia Hills District.	Km 108.200 to Km.171.455	62.860 [[excluding 0.395 Km length of structures >60 m]]	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
Total		101.860	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Fee Plaza (Design chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 74.200 near village Pasyih in West Jaintia Hills District	Nil	Nil	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 127.400 near village Lomshinong in East Jaintia Hills District.	0.395*	3.95	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
Total	0.395	3.95	

*Details of structure having length more than 60m is as under:

S.N.	Location		Total length (in km)	Type of Structure
	From (at km)	To (at km)		
(i)	141.090	141.17	0.080	Major Bridge
(ii)	141.490	141.621	0.131	Major Bridge
(iii)	152.885	152.945	0.061	Major Bridge
(iv)	141.900	142.023	0.123	Major Bridge
Total length of structure			0.395	

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 255.00 (Rupees Two Hundred fifty-five only) for the year 2018-19 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, as per rule 10(1A) of NH Fee Rule 2008 and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the

basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 795.51 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/547/CO/17-18/GC-Jowai-Meghalaya]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.